Regarding need to review Forest Rights Act regulations and ensure proper implementation of Community Forest Rights in Nandurbar Parliamentary Constituency in Maharashtra-Laid

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी **(नन्दुरबार) :** मैं सरकार के संज्ञान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा लाना चाहता हूँ, जो कि महाराष्ट्र के जनजाति-बहुल नंदुरबार संसदीय क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 एफआरए से जुड़े व्यापक उल्लंघनों और लबित मामलों से संबंधित है। भारत के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में से एक होने के बावजूद, अक्कलकुवा, आफ्रानी (धड़गाँव), तलोदा, शाहदा और नंदुरबार तहसीलों में हजारों वास्तविक एफआरए दावे आज भी लंबित है । इनमें से अनेक दावों को बिना उचित स्थल जाँच, बिना कारणयुक्त आदेश दिए, और एफआरए नियमों के नियम 12 ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, कई स्थानों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वन विभाग द्वारा जबरन बेदखली, फसल नष्ट करना और आदिवासी परिवारों को धमकाने जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि कानून स्पष्ट रूप से एफआरए प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार की बेदखली को प्रतिबंधित करता है । इन कार्रवाइयों ने आदिवासियों में भय का वातावरण, आजीविका में बाधा, और विधिक अधिकारों का उल्लंघन उत्पन्न किया है । सामुदायिक वन अधिकार सीएफआर की प्रक्रिया भी अत्यंत धीमी है । वास्तविक ग्राम सभाओं ने बताया है कि उनके सीएफआर दावे जो कई बार दस वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं प्रशासनिक उदासीनता के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं । इससे आदिवासी समुदायों को लघु वनोपज, जलस्रोती और पारपरिक वन संसाधनों पर अपने वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं । पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती का विस्तार अधिनियम) का क्रियान्वयन भी प्रभावी नहीं है, और ग्राम सभाओं जो एफआरए की मुख्य नींव है, को कानून के अनुसार अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप, आदिवासी उन लाभों और अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, जो उनके लिए निर्धारित हैं ।

इन सभी मानवीय, आजीविका-संबंधी, और वैधानिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे महाराष्ट्र राज्य को निर्देश दें कि सभी लंबित एफआरए दावों का सत्यापन समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए; एफआरए प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी बेदखली और दबावपूर्ण कार्रवाइयों को रोका जाए; दावी के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा केंद्र सरकार की एक निगरानी टीम भेजी जाए, जो उल्लघनों की समीक्षा कर एफआरए के प्रावधानों के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे । यह मुद्दा हजारों आदिवासी परिवारों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ है, जिनके अधिकार आज भी अधूरे हैं ।